



१३१

P-2245- I-16

समक्षा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश अवालियर

प्रकरण क्र. / /

विषय :— आदिम जनजाति सदस्य को भूमि विक्रय करने की अनुमति प्रदान करने बाबत।

पक्षकार —

श्री शुक्ल सिंह उर्फ सुकल सिंह बरकड़े पिता स्व. श्री बसोरी उर्फ बसोरा गौड़ निवासी ग्राम सरौंरा पोस्ट पड़वार तहसील व जिला जबलपुर।

विरुद्ध —

अनावेदक — 1. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर, जबलपुर

2. श्री कृष्ण कुमार साहू पिता बेड़ीलाल साहू

उम्र 39 साल निवासी ग्राम परतला पोस्ट पड़वार

तहसील व जिला जबलपुर।

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू—राजस्व संहिता 1959 के तहत

1- माननीय न्यायालय कलेक्टर जबलपुर के प्रकरण क्र. 24/अ-21/2015-16 में पारित अंतरिम आदेश दि. 06/06/2016 (Annexure-1) से व्यक्ति होकर म.प्र. भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की जा रही है।

2- यह कि आवेदक पुनरीक्षणकर्ता आदिवासी श्री शुक्ल सिंह उर्फ सुकल सिंह बरकड़े पिता स्व. श्री बसोरी उर्फ बसोरा गौड़ निवासी ग्राम सरौंरा पोस्ट पड़वार तहसील व जिला जबलपुर द्वारा ग्राम देवरीकला प.ह.नं. 21 रा.नि.मं. इमलई तहसील कुण्डम जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 98, 99 रकवा क्रमशः 0.760, 0.310 हे. कुल रकवा 1.070 हे. भूमि अनावेदक गैर आदिवासी श्री कृष्ण कुमार साहू पिता बेड़ीलाल साहू उम्र 39 साल निवासी ग्राम परतला पोस्ट पड़वार जिला जबलपुर को विक्रय करने की अनुमति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 02/01/2016 (Annexure-2) म.प्र. भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(6) के तहत कलेक्टर जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

3- प्रकरण में तहसीलदार बरगी द्वारा प्रकरण क्रमांक 14/अ-21/15-16 में प्रतिवेदन दि. 28/04/2016 (Annexure-3) में प्रतिवेदित किया गया कि भूमि विक्रय अनुमति उपरांत 4.88 हेक्टेयर भूमि शेष बचेगी। आवेदित भूमि पट्टे की नहीं है। आवेदित भूमि विक्रय के पश्चात्

// 1 //

शुक्ल सिंह

PK

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पुनरीक्षण 2247/एक/2016

जिला-जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
१४.७.१६	<p>यह निगरानी आवेदक द्वारा कलेक्टर, जिला जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 24/अ-21/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 06.06.2016 के विरुद्ध मा०प्र० भू-राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2- प्रकरण का खारांश यह है कि आवेदक द्वारा कलेक्टर, जबलपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मांग की गयी कि उसके खामित्व की भूमि ग्राम देवरीकला, प.ह.न. 21 रा.नि.म. इमलई, तहसील कुण्डम, जिला जबलपुर में स्थित भूमि खसरा नं. 98, 99 रकवा क्रमशः 0.760, 0.310 है। कुल रकवा 1.070 है। कटेयर भूमि अनावेदक क्रमांक 2 कृष्ण कुमार साहू पुत्र श्री बेड़ीलाल साहू, निवासी ग्राम परतला, पोखर पड़वार, जिला जबलपुर को विक्रय करने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। इस संबंध में विक्रय अनुबंध पत्र किया गया है। इसलिये आवेदक को भूमि विक्रय करने</p>	

R
2/2

की अनुमति दी जाये। कलेक्टर जिला जबलपुर ने प्रकरण क्रमांक २४/अ-२१/२०१५-१६ पंजीबद्ध कर आवेदक के आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों की जाँच अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व जबलपुर से करायी। जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कलेक्टर, जबलपुर ने आदेश दिनांक ०६.०६.२०१६ को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि भूमि के मूल्य की गणना वर्ष २०१५-१६ गार्डलाईन के अनुसार की गयी है, जबकि वर्तमान में गार्डलाईन वर्ष २०१६-१७ प्रचलित है। इसलिए मूल्य की गणना का स्पष्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देश दिये हैं। ऐसी स्थिति में आवेदक का विक्रय अनुमति आवेदन विचार होने से रह गया है। जिसके विरुद्ध आवेदक द्वारा इस व्यायालय में यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

३- निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा आवेदक अभिभाषक की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

४- आवेदक अभिभाषक ने तर्कों में बताया कि अनुविभागीय अधिकारी के यहाँ से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कलेक्टर जबलपुर ने दिनांक ०६.०६.२०१६ को आवेदन पत्र पर

R
21/4

(M)

सद्भाविक विचार नहीं किया और प्रकरण में निर्देश दिये हैं कि भूमि की मूल्य की गणना वर्ष २०१५-१६ की गाईडलाईन के आधार पर की गयी है, जबकि वर्तमान में गाईडलाईन वर्ष २०१६-१७ प्रचलित है। इस संबंध में बताया गया कि आवेदक द्वारा आवेदन पत्र दिनांक ०२.०१.२०१६ को प्रस्तुत किया है, ऐसी स्थिति में वर्तमान प्रकरण में गाईडलाईन वर्ष २०१५-१६ की लागू होगी ना कि वर्ष २०१६-१७ की और फिर भी जब आदिवासी को भूमि की कीमत का भुगतान किया जायेगा तो वह वर्ष २०१६-१७ के गाईडलाईन के अनुसार ही होगा। ऐसी स्थिति में जो आदेश कलेक्टर, जिला जबलपुर द्वारा पारित किया गया है, वह अपारत किये जाने योग्य है।

५- म०प्र० शासन की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा तर्कों में बताया गया कि उपरोक्त प्रकरण में कलेक्टर, जिला जबलपुर द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, वह विधिवत् एवं सही होने से इथर रखे जाने का निवेदन किया गया।

६- उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्कानुक्रम में देखना है कि प्रकरण जब तहसील एवं अनुविभागीय अधिकारी के यहाँ जाँच हेतु गया एवं जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद

R
2/2

वापिस आया। तब ऐसी स्थिति में विक्रय अनुमति दी जानी चाहिए थी, इस कारण आदेश दिनांक 06.06.2016 निरस्त किये जाने योग्य है। आवेदक के अभिभाषक के तर्कानुसार आवेदक अपनी शेष कारतकारी भूमि जोकि सरौंरा एवं ग्राम कुकड़ीखेड़ा में स्थित है उसे कृषि उपयोगी बनाना चाहता है, ऐसी स्थिति में कुछ भूमि का विक्रय करना चाहता है। प्रकरण में देखना है कि आवेदक वादग्रस्त भूमि को विक्रय करने हेतु पात्र है अथवा नहीं :-

1- पटवारी हल्का ने आवेदक के विक्रय अनुमति आवेदन पत्र की जाँच कर अपना प्रतिवेदन में बताया है कि यदि वादग्रस्त भूमि के विक्रय की अनुमति उपरान्त भूमि विक्रय होती है, इसके बाद आवेदक के पास कुल रकवा 4.88 हैक्टेयर भूमि शेष बचेगी। तात्पर्य यह है कि आवेदक भूमिहीन नहीं होगा उसके पास जीवकोपार्जन हेतु पर्याप्त भूमि है।

2- प्रतिवेदन में बताया गया है कि आवेदक द्वारा विक्रय की जाने वाली भूमि ख-अर्जित भूमि है। अर्थात् शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है।

3- पटवारी हल्का ने प्रतिवेदन में यह बताया है कि भूमि असिंचित है। इस प्रकार

आवेदक की भूमि घाटे की कृषि भूमि है।

4- आवेदक अभिभाषक के तर्कों के अनुसार आवेदित भूमि स्वामी हक में दर्ज है एवं आवेदक की भूमि पट्टे की भूमि नहीं है इसका अर्थ यह हुआ कि आवेदक भूमि शासकीय पट्टे पर प्राप्त न होकर स्वयं द्वारा विक्रय पत्र के माध्यम से अर्जित भूमि है ऐसा भूमि स्वामी अपनी भूमि को विक्रय करने हेतु स्वतंत्र है क्योंकि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि का पट्टेधारी पट्टे की शर्तों का पालन करते हुये दस वर्ष व्यतीत होने पर भूमि स्वामी बन जाता है, जो भूमि के सभी प्रकार के प्रयोजन के लिये स्वतंत्र है।

5- प्रकरण के आये तथ्यों से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि आवेदक के स्वत्व एवं स्वामित्व की भूमि है, जो शासन से पट्टे पर प्राप्त न होकर स्व-अर्जित है। आवेदक आदिम जनजाति का सदस्य है, जिसके कारण उसने भूमि विक्रय की अनुमति मांगी है संहिता की धारा 165 (7-ख) प्रतिबंधित करती है कि कोई भी शासकीय पट्टेदार अथवा भूमि स्वामी बिना सक्षम अनुमति के भूमि विक्रय नहीं करेगा और इसी प्रतिबंध के कारण आवेदक ने कलेक्टर से आवश्यकता दर्शाते हुये भूमि विक्रय करने की अनुमति मांगी है आवेदक ने भूमि

(M)

R/12

विक्रय करने का अनुबंध शासकीय गाईडलाईन के माध्यम से निर्धारित दर पर अनावेदक के साथ किया है जो शासन द्वारा निर्धारित गाईडलाईन के मान से विक्रय मूल्य देने को तैयार है परिणामतः आवेदक को स्वअर्जित एवं भूमि स्वामी स्वत्व की भूमि विक्रय करने की अनुमति दिये जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अङ्गचन नजर नहीं आती किन्तु कलेक्टर जबलपुर ने इस पर गौर न करने में भूल की है। जहाँ तक कलेक्टर न्यायालय का यह निष्कर्ष आवेदक द्वारा वर्ष २०१५-१६ के गाईडलाईन के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति चाही है, जबकि वर्तमान में गाईडलाईन वर्ष २०१६-१७ प्रचलित है। इस संबंध में कलेक्टर को निर्देशित किया जाता है कि वह वर्ष २०१५-१६ एवं २०१६-१७ में जिस वर्ष में गाईडलाईन के अनुसार भूमि की कीमत अधिक आती है उसी के अनुसार विक्रेता को भूमि का मूल्य दिलाया जाये।

६- उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक क्रमांक २४/अ-२१/२०१५-१६ में पारित आदेश दिनांक ०६.०६.२०१६ त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एवं आवेदक को भूमि

ग्राम देवरीकला, प.ह.न.21 रा.नि.म. इमलई,
तहसील कुण्डम, जिला जबलपुर में स्थित
भूमि खसरा नं. 98, 99 रकवा क्रमशः
0.760, 0.310 हैं। कुल रकवा 1.070
हैकटेयर भूमि के विक्रय की अनुमति दी
जाती है।


सदरस्य

R/15